दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

संख्या-307/100/R-DU/2020 दिनांक 14 जुलाई 2020

कार्यालयादेश

कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 16 मार्च 2020 से प्रभावी लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली करा दिये गये थे। छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया गया कि उन्हें लॉकडाउन के बाद की अवधि के हॉस्टल एवं मेस शुल्क भुगतान से छूट दी जाय।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय हॉस्टल में निवासरत समस्त छात्र छात्राओं से 16 मार्च 2020 से पूर्व की अवधि का ही हॉस्टल एवं मेस शुल्क लिया जायेगा। उसके बाद की अवधि अर्थात 16 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि का हॉस्टल एवं मेस शुल्क नहीं लिया जायेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत किया जा रहा है।

(डा0 मंगल सिंह मन्द्रवाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
5. चीफ हॉस्टल वार्डन एवं वार्डन।
6. सहायक कुलसचिव को इस आशय के साथ कि वे 16 मार्च 2020 से पूर्व की अवधि के छात्रावास एवं मेस शुल्क की गणना कर उसकी सूचना उपलब्ध करायें।
7. प्रभारी, आई0टी0 को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त सूचना को छात्र छात्राओं के सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त नोटिस बोर्ड।

14-07-2020

(डा0 मंगल सिंह मन्द्रवाल)
कुलसचिव